A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : उमरदीन खान,
आई.ए.एस.

अपील संख्याः 15/2021

संदीप कुमार पुत्र श्री राजकुमार, जाति ब्राहम्ण, निवासी पचेरी कलां, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

– अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

– रेस्पोडेंट

– – –

अपील अन्तर्गत धारा 22 (क) राजस्थान खाद्य एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 अपील विरूद्ध आदेश दिंनाक 13.05.2020 द्वारा अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं उनवानी प्रकरण सरकार बनाम संदीप कुमार उचित मूल्य दुकानदार पचेरीकलां प्रकरण सं. 3/20 में प्राधिकार पत्र निरस्त करने बाबत।

– – –

उपस्थित : –

1. श्री बिरजूसिंह शेखावत, एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री रामावतार विभागीय पैरोकार – रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

आदेश

दिनांकः– 01.03.2021

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 23.01.2020 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारों पर पेश है कि अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं का आदेश दिनांक 13.05.2020 विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का सही रूप से विश्लेषण न कर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 23.01.2020 को कारण बताओं नोटिस जारी किया था व दिनांक 24.02.2020 को मय सबूत/अभिलिखित कर अपना पक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत जाकर उसी दिन बिना अपीलान्ट को सुने आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपील अपीलान्ट द्वारा श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/2

न्यायालय श्रीमान ने दिंनाक 02.03.2020 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्ट को समुचित रूप से सुना जाकर एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर समुचित आदेश पारित करें फिर भी अदालत मातहत ने बिना साक्ष्य के अवसर दिये बगैर पारित करने मे भारी कानूनी भूल की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिसके विरूद्ध अदालत मातहत के द्वारा निर्णय किया जा रहा है उसकी जबाब देही साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर ही निर्णय किया जाना चाहिये। उक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा एक तरफा निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 23.01.2020 को नोटिस देकर गेंहू वितरण में अनियमितता का जो आरोप लगाया गया है वह सरासर गलत है। राशनकार्ड सं. 007143700696 को जितना गेंहू दिया गया है, उतना ही गेंहू ऑनलाईन निकाला गया है। ऑनलाईन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भी गबन चाहकर भी नही हो सकता है। ऑनलाईन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। मुरारीलाल शिकायतकर्ता मुरारीलाल का शपथ पत्र व संरपंच पचेरी कलां, मुरारीलाल, ताराचन्द तथा घनश्याम के प्रार्थना पत्र अदालत मातहत में पेश किये। अदालत मातहत ने उक्त तथ्यों पर गौर न कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। पार्टीबाजी एंव अनावश्यक द्वेष रखने वाले कुछ लोगो के अलावा सभी उपभोक्ता अपीलान्ट से संतुष्ट है और उनकी किसी प्रकार की कोई भी शिकायत अपीलान्ट से नही है। उसके बावजूद भी अदालत मातहत ने राजनैतिक दबाव में आकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा दुकान पर आकर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नही की गई है व तारासिंह पुत्र रमन सिंह दिमाग से भोला भाला व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा विपक्षी/शिकायतकर्ता उठा रहे है व घनश्याम पुत्र रामनिवास का भी दिमाग से संतुलन सही नही है तथा मुरारीलाल पुत्र रामसिंह का राशन कार्ड बन्द है जिसका नाम खाद्य सुरक्षा में नही है। अदालत मातहत ने उक्त तथ्यो पर गौर न कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा खाद्य सुरक्षा परिवादी को वितरित किये गये गेंहू व अन्य सामग्री की पर्ची उपभोक्ता को दी गई है। ऑनलाईन होने के बाद भी राशन डीलर द्वारा वितरण सूचना की द्वितीय प्रति अपीलान्ट के अलावा भी अन्य कहीं से नही दी जा रही है। पहले स्टॉक रजिस्टर एस.डी.ओ. द्वारा प्रमाणित किये जाते थे परन्तु अब कहीं भी स्टॉक रजिस्टर प्रमाणित नही होता। उसके अलावा अपीलान्ट का रजिस्टर पूरी तरह से संधारित किया हुआ है। उक्त तथ्य पर भी अदालत मातहत ने गौर नही किया है। अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी तरह की लिखित शिकायत नही है। अपीलान्ट की मौखिक शिकायत की है व द्वेषपूर्ण व राजनैतिक भावना से प्रेरित होकर की गई है जो झूठी है और अन्य उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई शिकायत नही है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत माहहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.05.2020 को निरस्त किया जावें।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को दिनांक 23.01.2020 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था व दिनांक 24.02.2020 को मय सबूत/अभिलिखित कर अपना पक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिये लिखा गया किन्तु प्रार्थी को सुनवाई व जबाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया। तारासिंह पुत्र रमन सिंह दिमाग से भोला भाला व्यक्ति है जिसका नाजायज फायदा विपक्षी/शिकायतकर्ता उठा रहे है व घनश्याम पुत्र रामनिवास का भी दिमाग से संतुलन सही नही है तथा मुरारीलाल पुत्र रामसिंह का राशनकार्ड बन्द है जिस का नाम खाद्य सुरक्षा में नही है। अपीलान्ट को उसकी जबाब देही साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A-4/3

अवसर देकर ही निर्णय किया जाना चाहिए। उक्त प्रकरण मे अदालत मातहत के द्वारा एक तरफा निर्णय पारित किया गया है। अतः अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.05.2020 खारिज करवाया जावे।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलांट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जांच मे अपीलान्ट श्री संदीप कुमार उचित मूल्य दुकानदार पचेरीकलां की राशन की दुकान प्रमाणित नक्शे से बाहर पाई गई। अपीलान्ट लोगों को राशन वितरण कर पॉस मशीन की पर्ची नही दे रहा था। अपीलान्ट द्वारा 5 लोगों को गेहूं तो 15 किलो के हिसाब से दिये गये जबकि ऑनलाईन प्रविष्टि मे 25 किलो ग्राम दर्शाया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व जांच में गंभीर अनियमतिताएं पाई गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्व पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील पक्षकारान पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को 760 किग्रा गेहूं तथा 39.5 लीटर केरोसीन का गबन का दोषी मानकर अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट का तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है, साथ ही शिकायतकर्ता तारासिंह व घनश्याम दिमाग से संतुलित नहीं है एवं शिकायतकर्ता मुरारीलाल का राशनकार्ड बन्द है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के यहां स्वयं उपस्थित होकर अपना जबाब प्रस्तुत किया है। इससे अपीलान्ट का यह तर्क की उसे सुनवाई एवं सबूत का अवसर नहीं दिया गया गलत साबित होता है। अपीलान्ट ने उक्त गबन किये गये 760 किग्रा गेहूं तथा 39.5 लीटर केरोसीन की बाबत कोई तार्किक कथन व साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अदालत मातहत के निर्णय की पुष्टि करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति मय रिकार्ड मातहत के प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.03.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
01/03/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू